न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

124 प्रकरण कमांक: /2017 निगरानी

2663 मान खा पिता दिलावर खां जाति मुसलमान उम्र 66 वर्ष निवासी वार्ड कमांक 12 जोगी मोहल्ला खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

——— आवेदक

बनाम

1— राजेन्द प्रसाद पिता भेकरूलाल नामदेव उम्र 46 वर्ष निवासी क्षीर सागर पुलिया के पास, वार्ड कमांक 13 खिलचीपुर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) म0प्र0

2— हल्का पटवारी द्वारा मध्य प्रदेश शासन, तहसीलदार खिलचीपुर म0प्र0

——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–07–2017 के विरूद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत

माननीय महोदय,

अनावेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1— यहकि, आवेदक मान खा पिता दिलावर खा ने भूमि स्वामी लीलाबाई पुत्री चुन्नीलाल माली निवासी खिलचीपुर से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 713/7/1 रकबा 0.047 हैक्टर में से 0005 हैक्टर 0.18 पैसे कि भूमि दिनांक 02–08–2016 को रजिस्टर विकय पत्र द्वारा कय की है । जिसका विधिवत्त नामान्तरण तहसीलदार महोदय द्वारा किया गया है । जिसका नामान्तरण पंजी कमांक 160 होकर दिनांक 05–09–2016 को नामान्तरण किया गया है । जिस पर आवेदक जमीन पर काबिज है । अनावेदक व्यथित व्यक्ति न होने के कारण अर्थात् उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से आवश्यक पक्षकार भी नहीं है । इस कारण से उसे अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । अनावेदक उक्त प्रकरण में न केता

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/राजगढ/भूरा/2017/6263 2663

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.1.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है। अब प्रकरण नहीं चलाना चाहते है। 2--आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदक एवं अनावेदक के दस्तावेज प्रमाणित किया गया है। प्रकरण में समझौता आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य समझौता होने पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	